न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 30/2024

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........प्रार्थी

बनाम

श्री महेश मोटवानी पुत्र श्री चेतन मोटवानी,
मैसर्स जे मार्ट, सी–1, पंचशील नगर, माकड़वाली रोड, अजमेर

........अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

–: आदेश :–

दिनांक– 07.08.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर तत्समय ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) घी सरस ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट, द्वितीय जाँच हेतु विक्रेता का आवेदन प्रपत्र 8, रेफरल लैब को अग्रेषित किया गया पत्र, रेफरल लैब की जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.06.2023 को 04:00 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स जे. मार्ट, सी–1,पंचशील नगर, माकड़वाली रोड, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री महेश मोटवानी मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एक गत्ते के कार्टून में 500 मिली वजनी घी (सरस ब्राण्ड) के 30 सील्ड पैकेट आम जनता कों विक्रय हेतु रखी हुई मिली। उक्त घी में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 02 किलोग्राम घी 1142/– रूपयें श्री मुकेश मोटवानी को नगद देकर गवाह श्री मुकेश कुमार वैष्णव के

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मुकेश मोटवानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा घी के 04 सील्ड पैकेट को विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–3880 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से घी (सरस ब्राण्ड) (जिसका नमूना लिया गया था) का माल खरीद बिल मांगे जाने पर विक्रेता ने अवगत कराया कि उसने घी (सरस ब्राण्ड) का एक कार्टून नगद राशि देकर क्रय किया था, जिसका बिल नहीं लिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/9663 दिनांक 26.07.2023 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर के संलग्न प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/934/एक्ट/2023/968 दिंनाक 11.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी (सरस ब्राण्ड) अनसेफ होना पाया गया। श्री महेश मोटवानी द्वारा नमूना की द्वितीय जाँच हेतु नियमानुसार प्रपत्र 8, अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी द्वारा नमूना उनके पत्रांक 324–ए दिनांक 22.08.2023 के संलग्न निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूरू को भिजवाया गया। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूरू की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2023 में विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया घी (सरस ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 19.06.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 19.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

अप्रार्थी बावजूद सूचना, कई अवसर दिये जाने के बाद भी निरन्तर अनुपस्थित रहा तथा किसी प्रकार का लिखित प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उनकी ओर से किसी वकील ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अतः एक पक्षीय कार्यवाही किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।

हमने पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया घी (सरस ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है । परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया घी (सरस ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चूकि प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट Vए में उत्पाद के निर्माता एवं बैच नम्बर का स्पष्ट रूप से अंकन किया है, अतः यह प्रार्थी के संज्ञान में है कि उक्त उत्पाद जयपुर जिला उप्पादक सहकारी संघ लि, गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर द्वारा निर्मित किया गया है। इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा निर्माता कम्पनी या उनके किसी अधिकृत

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

नॉमिनी या थोक विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी खुदरा विक्रेता (रिटेलर) है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करवाये गये खाद्य अनुज्ञा पत्र के अनुसार अप्रार्थी खुदरा विक्रेता (रिटेलर) के रूप में व्यवसाय कर रहा है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये खाद्य उत्पाद घी (सरस ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग या लेबलिंग नहीं की गयी है तथा उत्पाद की गुणवत्ता व शुद्धता के लिए भी उत्तरदायी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद घी (सरस ब्राण्ड) में निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया जाना एक गम्भीर विधिक त्रुटि है। विचाराधीन परिवाद में अप्रार्थीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80(ख)(2)(घ)(I) के प्रावधान भी प्रभावी नहीं हो रहे है।

अतः विचाराधीन परिवाद में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये खाद्य उत्पाद घी (सरस ब्राण्ड) की विनिर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना नहीं किये जाने के कारण उक्त परिवाद विधिक दृष्टि से दोषयुक्त होने के कारण पुनः लौटाया जाकर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अभिहित अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को निर्देश दिये जाते है कि परिवाद का पूर्णतया परीक्षण कर, सभी उत्तरदायी व्यक्तियों/कम्पनियों को पक्षकार बनाया जाकर पुनः परिवाद प्रस्तुत करे।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री महेश मोटवानी पुत्र श्री चेतन मोटवानी, मैसर्स जे मार्ट, सी–1, पंचशील नगर, माकड़वाली रोड, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर